न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 67/2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 श्रीमती श्रवणी देवी उर्फ सवणती आयु 75 वर्ष पत्नी मोहन[illegible]
2 सतपाल आयु 45 वर्ष पुत्र मोहनलाल समस्त जाति [illegible] निवासीगण बुडानियां उप तहसील मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 श्रीमती उम्मेद आयु 50 वर्ष पुत्री मोहनलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति नाई निवासी नयासर तहसील व जिला झुंझुनू।
4 श्रीमती मुन्नी आयु 48 वर्ष पुत्री मोहनलाल पत्नी [illegible] जाति नाई निवासी ढ़ाढ़र तहसील व जिला चूरू।
5 श्रीमती निशा आयु 38 वर्ष पुत्री मोहनलाल पत्नी राजेन्द्र जाति नाई निवासी बास बिशना उप तहसील गुढ़ागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6 बनवारीलाल आयु 70 वर्ष पुत्र अमराराम जाति नाई निवासी बुडानियां उप तहसील मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मामकोरी आयु 65 वर्ष पत्नी तथाकथित दुर्गाप्रसाद उर्फ दुर्गाराम जाति तथाकथित नाई निवासी वार्ड नम्बर 19 गोलुवाला शिवादान तहसील पिलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2 मुकेश आयु 30 वर्ष पुत्र मोहनलाल।
3 कुरड़ाराम आयु 65 वर्ष पुत्र दुलाराम समस्त जाति नाई निवासीगण बुड़ानियां उप तहसील मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील
खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2019
न्यायालय उखण्ड अधिकारी चिड़ावा दावा उनवानी
मामकोरी बनाम श्रवणी आदि दावा घोषणा,
खाता विभाजन प्राप्त करने कब्जा, रिकार्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 61/2018

उपस्थिति :

1. श्री जगदीश चन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज बजाज, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री नरेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.11.19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 61/2018 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 से 4 को प्रतिवादीगण बनाकर जमीन गत खसरा नम्बर 386 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 668/1 रकबा 1.04 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 668/2 रकबा 0.65 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 687/1 रकबा 0.38 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 687/2 रकबा 0.77 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 490/1 रकबा 0.47 हैक्टेयर हाल खसरा नम्बर 490/2 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम बुडानियां के बाबत उक्त उनवानी दावा पेश किया। इस दावे में न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने अपीलांट प्रतिवादीगण नम्बर 1व 2 व 4 से 7 व 3 व 8 व 9/रेस्पोडेंट नम्बर 2 से 4 के खिलाफ दिनांक 25.03.2019 को एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिनांक 10.05.2019 को एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित कर रेस्पोडेंट नम्बर 1 का उक्त जमीन में 1/3 हिस्सा घोषित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण में मूलवाद में मद संख्या 4 में नामान्तकरण दिनांक 01.06.1972 के अनुसार खातेदारी चाही गई इस नामान्तकरण में दुर्गा प्रसाद को भांजा बताकर नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। विरासत के नामान्तकरण में भान्जे को टेनेन्सी किस प्रकार दी गई स्पष्ट नही किया गया है। दुर्गा प्रसाद अन्य ग्राम का निवासी था उसकी मृत्यु 1974 में हो चुकी थी इतने वर्षो पश्चात दावा किया गया है। मूलवाद में सम्मन जारी होने बाबत कोई उल्लेख नही है। दिनांक 25.03.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। जबकि सम्मन जारी होने का कोई उल्लेख नही है। सम्मन पर हस्ताक्षर कब हुये इसकी कोई दिनांक नही है तामील गलत करवायी गई है। दावे की नकल देने का भी उल्लेख नही है। सभी नोटिस नुमाइसी है आदेश 5 नियम 18 के प्रावधानों के अनुसार तामील कुनिन्दा को जांच करनी चाहिए थी। अपीलांट को तामील नही हुई इसलिए उपस्थित नही हो सका। ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण अवैध है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है। अपील एवं धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2005 मार्च पेज 125, आर.बी.जे. 2018 पेज 279, आर.बी.जे. (25) 2018 पेज 42, 373, आर.आर.टी. 2007(2) पेज 1235, आर.आर.टी. 2007 (1) पेज 353, आर.आर.डी. 1987 पेज 106 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कियें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि दिनांक 29.01.2019 को तामील बाबत रिपोर्ट है कुरड़ाराम की स्वंय की तामील है हस्ताक्षर है।

बनवारीलाल के भी स्वंय के हस्ताक्षर है शेष के नोटिस भी बनवारीलाल ने प्राप्त किये है। एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त किये जाने का आवेदन नही दिया है अपील मेमों पर अपीलांट के हस्ताक्षर नही है। अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का कोई कारण नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में कही भी अपीलांटस के सम्मन जारी करने का अंकन नही है। पत्रावली में संलग्न सभी अपीलांटस के सम्मन की पुस्त पर अंकन है कि जिनके नाम सम्मन है वह घर पर नही मिले नोटिस उनके चाचा/देवर बनवारीलाल ने प्राप्त किया। तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर है परन्तु तहसीलदार के द्वारा सत्यापित नही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट संख्या 1 से 5 पर व्यक्तिशः तामील नही हुई। ऐसी स्थिति में यह तामील आदेश 5 नियम 11 के प्रावधानों के विपरित है। पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य नही है कि तामील प्राप्तकर्ता बनवारीलाल अपीलांट संख्या 1 से 5 के साथ रहता हो। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट सशपथ नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2007(1) पेज 353 में अभिनिर्धारित किया गया है कि' Rajasthan Tenancy Act, 1955- Secs. 230,88,89- Code of Civil Procedure 1908-Order5, Rule 17& Order 9, Rule 13-Revision- Non- Petitioners No. 1&2 filed suit before SDO which was decreed ex-parte-Petitioners were not give proper opportunity of hearing- Service of summons of petitioners has been made by affixing the summon in presence of two witnesses- Particulars of witnesses not given- it is not clear as to which date the summons affixed- Held, EX-parte decree set aside and matter remanded to SDO to decide afresh after giving opportunity of hearing to both the parties. उपरोक्त विवेचन एवं

न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट के नोटिस सम्यक रूप से तामील होना नही पाया जाता है।

चूकि अपीलांट को सम्यक तामील नही हुई है अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर नही मिला है विचारण न्यायालय का निर्णय ऐसी स्थिति में विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब दावा, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर